न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 213/2017

वादीया बनाम प्रतिवादीगण

1. बिरजुदेवी पत्नि गंगाराम
निवासी–प्रतापपुरा (नयागांव)
तहसील–जैतारण, जिला–नागौर

बनाम

1. घेवर पुत्र मिश्रु
2. रतनलाल पुत्र मिश्रु
3. घनश्याम पुत्र मिश्रु निवासी–प्रतापपुरा (नयागांव)
4. शांति पत्नि हड़मान प्रजापत
5. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली
6. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–निमाज तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.14/11/2017**

उपस्थितः. 1. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 11/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–ग्यास, पटवार हल्का–बलाड़ा, तहसील–जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 101/1 रकबा 35–02 बीघा एवं खसरा नम्बर 103/1 रकबा 5–00 बीघा, कुल कुल खसरा–2कुल रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 जमाबन्दी में हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में खातेदारान् की शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। जिसका कानूनन बंट्वाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। शामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादीया अपने हिस्से की भूमि में अलग से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन लेने में भी परेशानी होती हैं व बैंक से किसान कार्ड बरवाने में भी परेशानी हेाती हैं। वादीया ने यह भी निवेदन किया कि अपने एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपस में प्रेम भाव बना रहेगा। आने वाली पिढी के बीच में विवाद नहीं रहेगा। इसलिये उक्त कृषि भूमि के बंट्वाड़े हेतु दिनांक 25/10/2017 को कहां तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट ईन्कार किया। तब वादीया ने बंट्वाडे हेतु वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि बंट्वाड़ा नहीं हो रखा हैं। फिर भी उक्त कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 घेवर व प्रतिवादी संख्या 02 रतनलाल ने खसरा नम्बर 101/1 रकबा 35–02 बीघा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

में से क्रमशः 06 व 04 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 04 बेचान कर दिया। जबकि उक्त भूमि का कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। कानूनन बंटवाड़ा करने के पश्चात् ही एक खातेदार अपने हिस्से को व अपने हिस्से में से क्रेता को बेचान कर सकता हैं। अन्यथा एक अजनबी क्रेता अपनी मनचाही जगह पर कब्जा करेगा। जिससे खातेदार के हक व अधिकार प्रभावित होगें। इसलिय बंटवाड़ा करवाकर ही अजनबी क्रेता को प्रवेश कर सकता हैं तथा उक्त शामलाती भूमि में स्वामित्व और अधिकार पैदा नहीं होते हैं। यह कानून की मंशा हैं तथा वादीया को दिनांक 25/10/2017 प्रतिवादी संख्या 04 ने यह भी धमकी दी कि वाद में वर्णित भूमि क्रय की हैं तथा शामलाती भूमि में प्रवेश कर मनचाही जगह पर कब्जा प्राप्त करूंगा तथा तुम्हारे हिस्से से बेदखल करूंगा। जिससे वादीया को हक व अधिकार दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहे हैं। इसलिये उक्त गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने हेतु वादीया ने यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया हैं। बिनायवाद दिनांक 25/10/2017 को वादीया ने प्रतिवादीगण को बंटवाडे हेतु कहां तो ईन्कार हुए तथा शामलाती भूमि में प्रतिवादीगण ने वादीया की हिस्से की भूमि बेदखल कर कब्जे काने की धमकी देने बमुकाम–ग्यास, पटवार हल्का–बलाड़ा, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ हैं। वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा का वाद करने पर प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया हैं तथा उक्त कृषि भूमि के खातेदारान् द्वारा अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 06 रहन रखकर ऋण लिया हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 06 को पक्षकार बनाया हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 से 03 की ओर से वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण ने परिवार के सदस्यों की समझाईश व गांव के मौजिज लोगों की समझाईश से आपस में राजीनामा कर लिया हैं। वादीया ने वाद बंटवाड़ा का पेश किया हैं। जिसका मौके पर पक्षकारान् के द्वारा बंटवाड़ा कर लिया हैं तथा माफिक बंटवाड़ा मौके पर काबिज हैं। जिसका नजरी नक्शा बना कर श्रीमान् के समक्ष राजीनामा के साथ पेश किया हैं। सभी पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा व बंटवाड़ा से सहमत हैं। उसी अनुसार पक्षकारान् मौके पर काबिज हैं। इस कारण उक्त पत्रावली जरिये राजीनामा के सभी पक्षकारान् वादीया व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा नजरी नक्शे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रति0 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

की गई कि कि राजस्व मौजा-ग्यास, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 101/1 रकबा 35-02 बीघा एवं खसरा नम्बर 103/1 रकबा 5-00 बीघा, कुल कुल खसरा-2 कुल रकबा 40-02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/ कोर्ट/ 2016/ 155 दिनांक 06/02/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/ भू0अ0/2017/1413 दिनांक 23/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-ग्यास, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 101/1 रकबा 35-02 बीघा एवं खसरा नम्बर 103/1 रकबा 5-00 बीघा, कुल कुल खसरा-2 कुल रकबा 40-02 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान (रुपये)
1	घनश्याम पुत्र मिश्रु कौम माली सा. प्रतापपुरा (नयागांव) खातेदार रहन SBI शाखा निमाज	101/1 103/1	8-17-00 1-05-00	बा0दो0 बा0दो0	2.74 0.39
	कुल	2	10-02-00		3.13
2	बिरजु देवी पत्नि गंगाराम कौम माली सा. प्रतापपुरा (नयागांव) खातेदार रहन SBI शाखा निमाज	101/2 103/4	8-15-00 1-05-00	बा0दो0 बा0दो0	2.71 0.39
	कुल	2	10-00-00		3.10
3	रतनलाल पुत्र मिश्रु कौम माली सा. प्रतापपुरा (नयागांव) खातेदार	101/3 103/3	3-10-00 2-10-00	बा0दो0 बा0दो0	1.09 0.77
	कुल	2	6-00-00		1.86
4	घेवरराम पुत्र मिश्रु कौम माली सा. प्रतापपुरा (नयागांव) खातेदार	101/4	4-00-00	बा0दो0	1.24
5	शांतिदेवी पत्नि हड़मान कौम प्रजापत सा. प्रतापपुरा (नयागांव) खातेदार	101/5	10-00-00	बा0दो0	3.10

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

11/06/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र बलाड़ा में सुनाया गया।

11/06/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner